जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बरसात में सावधानी बरतें, विद्युत दुर्घटनाओं से बचें

जयपुर, 09 जुलाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तकनीकी कर्मचारियों को कार्य के दौरान सुरक्षा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यशालाओं एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही बिजली उपभोक्ता एवं आम जनता भी बरसात के मौसम में कुछ सावधानियां बरतें तो विद्युत जनित हादसों को टाला जा सकता है। कर्मचारियों एवं आम जनता को विद्युत जनित हादसों से बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 व 16 जुलाई को सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाएगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि बरसात में बिजली आपूर्ति में होने वाले व्यवधान एवं विद्युत जनित हादसों से जान–माल की हानि को बचाने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही आम जनता भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे तो बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

- घर में ईएलसीबी स्विच जरूर लगवाएं, जिससें घर के बिजली तंत्र में गड़बड़ी होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाए और जीवन हानि को टाला जा सके।
- बिजली फिटिंग के साथ ही अर्थ वायर डाला जाना व समूचे तंत्र को घर के बाहर उपयुक्त अर्थ कर जोड़ना चाहिये और उसकी समय–समय पर जाचं कराते रहना चाहिये।
- बिजली के खम्भों से पशुओं को न बांधें। बिजली के खम्भों को खासतोर पर बारिस के मौसम में बेवजह छूना वर्जित है।
- टूटे हुए बिजली के तार को हाथ न लगायें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करनें दें तथा तत्काल नजदीक के बिजली कार्यालय को सूचित करें अथवा टोल फ्री नम्बर 18001806507 पर शिकायत दर्ज करावें।
- यह भी ध्यान रखें कि पशुओं के तबेलों के आसपास बिजली आपूर्ति हेतु घरेलू वायरिंग खुली न हो तथा पीवीसी पाईप में उचित तरीके से स्थापित की गई हो।
- बिजली की लाइनों के नीचे कोई भी वाहन खड़ा करने से बचें।
- बिजली की लाईनों के नीचे या बिजली के खम्भे के नजदीक किसी भी जानवर को बांधना एवं सामान का रखना वर्जित है।
- छत पर या आसपास से गुजरती हुई बिजली की लाईन से छेडछाड़ की कोशिश नहीं करनी चाहिये अपितु बिजली लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रहना चाहिये।
- बिजली के खम्भे, वितरण बॉक्स, ट्रांसफार्मर, अर्थिंग वायर आदि से छेड़छाड़ का प्रयास नही करना चाहिये।
- बिजली के खम्भे या स्टै–वायर से डोरी बांधकर कपड़े सुखाने के काम में नही लेना चाहिए।
- हार्वेस्टर मशीन, जेसीबी मशीन, बोरवेल मशीन, भूसा गाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रक, बसों की छत पर बैठे व्यक्ति ऊपर से गुजर रही 33/11 के.वी. लाईन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इसके लिये उन्हें सड़क से गुजरते समय विद्युत लाइनों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिये।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना सम्भावित बिजली लाईने, लटकते बिजली तार, टेड़े पोल आदि के बारे में सातों दिन चोबीसों घण्टे कार्यरत डिस्कॉम के कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 18001806507 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही बिजली बन्द होने की सूचना, ट्रांसफार्मर जलने, बिजली चोरी की सूचना या अन्य कोई तकनीकी शिकायत हो तो उसे भी कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करवाया जा सकता है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 242/2015